Regulations, 1975, published in Notification No. G.S.R 227 in Gazette of India dated the 22nd February, 1975

(6) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Eighth Amendment Regulations, 1975, published in Notification No G S R 228 in Gazette of India dated the 22nd February, 1975

[*Placed in Library. See* No LT-9086/75]

CENTRAL EXCISE (4TH AMDT) RULES 1975, NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962 AND CENTRAL EXCISE RULES, 1944

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Central Excise (Fourth Amendment) Rules, 1975 (Hindi and English versions) published in Notification No G S R 67(E) in Gazette of India dated the 1st March, 1975 under section 38 of the Central Excises and Salt Act 1944

(2) A copy each of Notification Nos G S R 124(E) to 136 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st March, 1975 under section 159 of the Customs Act 1962 together with an explanatory memorandum

(3) A copy each of Notification Nos G S R 65(E) 70(E) to 81(E), 83(E) to 118(E) and 121(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st March, 1975 issued under rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 together with an explanatory memorandum

[*Placed in Library. See* No LT-9087/75].

NOTIFICATION UNDER DELHI SIKH GURDWARAS ACT, 1971

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F H. MOHSIN): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 39 of the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971.—

(1) The Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Co-option of Members) (Amendment) Rules, 1975, published in Notification No. F 18/33/74-Judl in Delhi Gazette dated the 25th February, 1975

(2) The Delhi Sikh Gurdwaras (Election of Pro-tempore Chairman, President, Other Office Bearers and Members of the Executive Board) (Amendment) Rules, 1975, published in Notification No F 18(29)/73 Judl (ii) in Delhi Gazette dated the 25th February, 1975

[*Placed in Library See* No LT-9088/75]

12.06 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED WAGON BREAKING RACKET IN KODERMA

SHRI B V NAIK (Kanara) Sir, I call the attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon —

"*The reported wagon breaking* racket in Koderma involving politicians and RPF personnel swindling railways to the extent of Rupees Five crores"

THE MINISTER OF STATE IN (SHRI MOHD SHAFI QURESHI): Sir, a scrutiny of the crime reports received from the Eastern Railway as

also other source information had indicated that the incidence of crime against booked consignments in the Grand Chord Section of Dhanbad Division of the Eastern Railway was frequent. A team from the Central Crime Bureau of the Railway Board was deputed to make confidential enquiries into the matter and they also sought help from the Bihar CID and other State Police authorities. The information was developed further and on February 28, 1975, searches were conducted at seven places in the railway quarters at Railway Station Koderma and in Jhumri Talaiya Town of Bihar under the supervision of Superintendent of Police, District Hazaribagh, and an Assistant Security Officer from the Railway Board.

The main party of the Central Crime Bureau, Railway Board, who had made preliminary enquiries and organised the raid is still working in the field on this case and full deails of the developments thereof are not yet known. However, on the basis of information so far received in the Railway Board, the facts are as under:—

As a result of these searches, some property suspected to have been stolen from the Railway, cash amounting to about Rs 1,05,000/- and some papers were recovered and as a consequence thereof, three Rakshaks of the Railway Protection Force and one other railway employee were arrested. One more railway employee wanted in the case is absconding.

Government Railway Police, Gomoh (Bihar) have registered four cases under Section 414 IPC and Section 5(2) of Prevention of Corruption Act and are investigating the same. A case under Section 3 of the Railway Property (Unlawful Possession) Act has also been started at R.P.F. Post, Gomoh, and is under enquiry.

Since the whole matter is under investigation by the Bihar State Police authorities and the papers etc. seized will require a detailed examination, it would be premature to say anything at this stage about the alleged links of the wagon breakers.

Separate statistics of losses incurred at Koderma Railway Station are not readily available. However, during the period from January to October 1974, 1219 cases involving a loss of Rs. 16,37,098/- were reported from the entire Dhanbad Division.

SHRI B. V. NAIK: Sir, what we have listened to in the reply and the most operative part as usual in respect of almost all replies to the Calling Attention Motions is that it would be premature to say anything at this stage about the alleged link of the wagon breakers. Whatever has been seized, will need a further detailed examination. Before I go to the subject proper, I feel that the very utility of the Parliamentary Institution is in order to expose these rackets and give them as wide a publicity as possible so that culprits are afraid of the due process of law; in due course of time, under Sec. 414 of IPC we can book them. After they book the culprits, if the magistracy accepts the contention of the prosecution, there is a maximum of three year's punishment and some fine. Since it is in the interests of both the Government and the Railways not to say the least about the opposition, that the Parliamentary Institution is at least not made inarticulate, I would perhaps request not only the Minister for Railways but all the ministries concerned to come out with a frank clarification involving all the facts at their command. After all, the proceedings here are protected. By making these general observations, I would also like to submit to you that, according to the Railway Convention Committee Report for the year 1971, thefts that took place in 1968-69 were of the order of Rs. 35 lakhs; in 1969-70 they were of the value of Rs. 39 lakhs; in 1970-71, they were of the value of Rs. 110 lakhs but, in 1971-72, the value was of the order of Rs. 127 lakhs. I do not have the figures for the year 1972-73. But, at the time of presentation of Railway Budget, the Indian Railways Report

(Shri B. V. Naik.)

was also submitted which showed how much of thefts had occurred in the Railways in the consignments booked. In the year 1973-74, the thefts involved an amount of Rs. 2.39 crores nearly Rs. 2.40.

This is only in regard to the thefts which have been classified as thefts. Over and above that, during the year 1973-74, out of the railways gross earnings of about a thousand and odd crores as much as one percent of its total gross revenue goes to pay the compensation claims, most of which will be accountable on the basis of thefts, pilferages and wastages on transit. In 1973 74, the railways settled the claims worth Rs. 6,62,513/-. The compensation that was paid to the people who had booked their consignments and the loss on railway property as well as the loss on revenue earnings on consignments amounted to Rs. 13.50 crores.

We can now see the dimensions of the amount of the goods lost in transit, goods missing in transit, railway property stolen and the pilferage that took place. All these could be understood. The worst part of this racket seems to be by the so called guardians of law; the Railway Protection Force, the constables, who are expected to protect the railway proprety have shown themselves as the criminals—I do not want to use any other word—involved in thefts. If the guardian of the law is risen to such a level, what punishment are you going to provide? Section 414 provides for three years' imprisonment. But, if the magistracy is in a generous mood, it may be two years or even two months, unless they are going to be honourably acquitted. Under the circumstances, it is a shame on the part of the Railway Protection Force and for the Railway Administration to entrust the investigation to some of its own personnel who have been taken on loan from the Home Ministry as trial authorities for investi ation of the railway protection forces involved in this case. Why is it that we cannot commission the CBI? There is one more reason why the highest authorities in the CBI have to go and investigate because it is not only the guardians of law but it is also the politicians—the guardians of democracy—who have been involved in this. This is the most shameful chapter. I would like to know whether one of the Members belonging to one of the parties in this country and I do not think I would be erring on the wrong side if I say Mr. Chander Shekhar Singh belonging to the Communist Party of India has been suspended by his own party. I compliment the party. Under the circumstances, let the country know where the crooks are hiding and let action be taken against them. I would like that in future in rackets of this kind the Railways should come out with more facts. You have inherited bureau cracy. I suggest instrumental revolution and changes in our system.

I hope the Railway Minister would accede to my request for intervention of CBI at the highest level to probe it in details because as the Paper says the racket is not of one lakhs but worth Rs 5 crores.

SHRI MOHD SHAFI QURESHI: Sir, judging from the information which we received from various railways, we noticed an upward trend of pilferages and thefts more especially on Gaya Gomoh Section. So, the whole job was entrusted to the Central Crime Bureau of Indian railways. It was done in November and in February when raids were conducted it was found that railway property was recovered from some railway rakshaks. We have also seized certain documents but it is rather premature for me to say whether we can establish any link between the persons whose letters have been seized and rakshaks who have been held responsible for stealing railway property. The rakshaks involved are one Mukti Nath Singh from whose house cash worth Rs. 89,257/-, two bags of wheat, one bag

of rice and one tarpaulin bearing railway marking all suspected to have been stolen from railway wagons were recovered. Another is Shiv Kumar Tiwari from whose house cash worth Rs. 1900/- and jewellery roughly of the value of Rs. 5,000/- and registration documents and ignition keys of one Ambassador car No. BRH 275 were recovered. The car registered as taxi in the name of C. S. Singh has been seized by the police as it was parked outside the railway quarter of rakshak. The registration of the car is in the name of one Shri C. S. Singh. Another Rakshak, Ram Lakkhan Sharma. From his house, cash worth about Rs. 3404 was recovered. Then, a cabin man. From his house, some empty packing materials bearing railway marks were recovered suspected of having been stolen from the goods shed, Koderma. Shunting porter, Parmanand Tiwary From his house, railway hand signal lamps suspected to have been stolen from the railway premises have been recovered. The RPF

SHRI B. V. NAIK. What is the full name of Shri C. S. Singh?

SHRI MOHD SHAFI QURESHI: I have given the information. In the registration document which the Police have seized, the name which has been entered is C. S. Singh.

Sir, as the work has already been taken up, not now, but in November, by our own investigation bureau, we do not think it necessary to bring in CBI at this stage because the State Police and the State CID are also helping the RPF in tracing these culprits.

Sir, then, certain documents have been found. There is one letter which was addressed to Mr. Chandra Shekhar Singh by the Minister of Railways. I do not know the contents of the letter but that letter has also been recovered from the house of the Rakshak. These are the facts of the case. We have nothing to conceal. These facts are there. Whatever further documents are needed by the investigating authorities, those will be made available to them. At this stage, I would again repeat that there is no question of involving CBI in this case.

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) अध्यक्ष महोदय, सब से पहले यह जवाब जो रेल मंत्रालय की तरफ़ से आया है—मेरा ख्याल है यह मामला गृह मंत्रालय का भी है, क्योंकि इस जवाब के आखरी पैरे में लिखा है—

> "चूंकि सारे मामले पर बिहार राज्य के पुलिस अधिकारियो द्वारा जाच पड़ताल की जा रही है और अभी कागजो आदि की विस्तृत जाच की जानी है, इस लिए डिब्बे तोडने वालों के तथाकथित सम्बन्धो के बारे मे अभी से कुछ कहना असामयिक होगा।"

इस बात से लगता है कि पुलिस महकमा भी इस मैदान में है। कायदे में तो यहां ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब को भी बैठना चाहिये था, लेकिन वे नही आये।

अध्यक्ष महोदय, रेल के वैगनो की चोरी या वैगनों को तोडने का यह रोग देशव्यापी रोग है। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी यहां बैठे हैं, ये नये नये रेल मंत्री बने है कोडरमा की तो बात ही छोडिये, मेरा ख्याल है कि ये मुगलसराय की चोरी को भी नही बचा सकते, जो इन के नाक के नीचे रोज होती रहती है और कुरेशी साहब ने कई बार अपने मंत्रालय के अधिकारियो को लताड़ लगाई होगी कि इस तरह की चोरी क्यो होती है। लेकिन वह चोरी अभी तक रुक नहीं सकी है।

इस से भी एक बड़ी बात यह है कि जब यह काल-एटेन्शन अखबार में छपा और उस में लिखा गया कि इस से राजनीतिज्ञों का कुछ रिश्ता है, तो जब हमने काल एटेन्शन दिया था, उस समय हमारे मन में यह डर था कि कही हम लोगों की पार्टी तो इस में शामिल नहीं

[श्री जनेश्वर मिश्र]

है। लेकिन आज जब मैंने मदरलैंड अखबार में देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बिहार शाखा के एक संसद सदस्य, जो इसी लोक सभा के सदस्य है, श्री चन्द्र शेखर सिह उन पर यह आरोप लगाया कि इन वैगनों को तोड़ कर चोरी करवाने में उन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इस लिये उन को पार्टी से मुअत्तिल कर रहे है—तब जाकर हम लोगो को तसल्ली हुई कि चलो, इस चोरी मे हम लोग नही हैं, वरना हम लोगो को बहुत डर लग रहा था।

अब मै कुछ सवाल पूछगा ....

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आप को ऐसा शक क्यो हुआ ?

श्री जनेश्वर मिश्र: इस लिये कि में लिखा हुआ था कि इस मे पोलिटीकल लिंक है, उसमे मुझे आप पर भी शक था, सब पर शक था, ऐसा न समझियेगा कि केवल विरोधी लोगो पर ही शक था।

अब, अध्यक्ष महोदय, जैसे चोरियां हुआ करती है, चोरी अगर 10 लाख की होती है, तो थानेवाले उस को घटा कर 10 हजार कर दिया करते है, इस लिये कि उन की एन्ट्री खराब न होने पाये। इस लिये पाच करोड की चोरी अगर बतलाई जाती है तो मत्री जी अपने जवाब मे लाखो पर आ कर रुक जाते हैं, अपने जवाब मे सही तस्वीर बतलाने से क्यों भाग रहे है ?

दूसरा प्रश्न —मूल जवाब में रेल मंत्रालय ने कम्यूनिस्ट पार्टी का नाम क्यों नही लिया—यह सवाल आज है। हमारे यहां एक कहावत है चोर-चोर मौसेरे भाई। अब हमें शक होने लगा है—क्या यह आपसी रिश्तेदारी है ? माननीय चन्द्र शेखर सिह, संसद सदस्य, लोक सभा के इस सदन के पिछले 7–8 साल से मेम्बर हैं ....

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : हम इस तरह से उन को सस्पेण्ड करेंगे—यह इन के दिमाग के बाहर की बात है, क्योंकि इन में भी सब के सब इस से ज्यादा क्राइम करने वाले मौजूद हैं ...(व्यवधान)...ये सभी चोर हैं, इस लिये ऐसा एक्शन नही ले सकते हैं ...(व्यवधान) ... अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरी पूरी पार्टी के बारे में कहा है, इस लिये मुझे पोजीशन को एक्सप्लेन करने की इजाजत दीजिये ..(व्यवधान)..

श्री जनेश्वर मिश्र : क्या पिछले 8 सालो से ये पुलिस के सिपाही, ये जो आर० पी० एफ० के रक्षक कोडरमा स्टेशन पर थे, इन के ट्रांस्फर के लिये कई बार कोशिश की गई और इस देश की एक राजनीतिक पार्टी, जिस पार्टी के संसद सदस्य आज मोअत्तिल किये गये है—ये बारबार माननीय भूतपूर्व रेल मंत्री जी, जो अब स्वर्गीय हो गये है, उन के यहा पैरवी करने जाते थे कि इन का ट्रांस्फर न किया जाये और स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र बारबार उन की पैरवी पर उन के ट्रांस्फर को रोक दिया करते थे ? तो यह केवल राजनीतिक लिंक नही है—वैगन तोडने में, बल्कि इस समय देश मे इन लोगो का जो लिंक बना हुआ है, वह लिंक अपनी जगह काम कर रहा है।

क्या मंत्रालय को यह मालूम है कि वैगन तोडनेवाले इन आर० पी० एफ० के जवानों ने यह कुसूर आज ही नही किया है—21 जनवरी, 1974 को जब महगाई के सवाल पर कोडरमा में वहां के लोगों ने रेलवे क्रासिंग पर धरना दिया था तो एक अधिकारी था—जो मैजिस्ट्रेट की हेसियत से आया था उस ने गोली चलाने के लिये आर्डर नही दिया, तब आर० पी० एफ० के इन जवानों ने कहा था—अगर गोली चलाने की इजाजत नहीं देगे तो हम तुम को गोली मार देगे। इस पर वहां गोली चली और उस में दो लोग मारे गये श्री विश्व नाथ मोदी, जो वहां के विधेयक हैं,

इन के साथ 60 लोगों को जेल भेजा गया। इस तरह से आर० पी० एफ० के लोगों का मन बढ़ गया था—क्या इस की जानकारी आप को है ? ...(व्यवधान) ...वे एन्टी मैलेरिया विभाग के आफिसर थे—जैन, जो वहां मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे थे, वे वहां मैजिस्ट्रेट इन्चार्ज बनाये गये थे, बिहार में ऐसा सब कुछ होता है।

क्या इन आर० पी० एफ० के जवानों ने भूतपूर्व रेल मंत्री, मैं उन का नाम अब नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अब उन पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं होना—अभी हाल में उन के भ ा.जे की शादी मे एक एम्बेसेडर गाड़ी उपाहार स्वरुप दी है ? क्या इस की जा कारी आप को है, यदि नही है तो क्या आप इस क. जांच करायेंगे ... (व्यवधान) ... इन आर० पी० एफ० के जवानों ने दी थी, जो कोडरमा में काम कर े थे। आज ही श्री विश्व नाथ मोदी ने, जो हम लोगों के प्रदर्शन के सिलसिले में यहां आये हुए है, मझे बताया कि अभी हाल में वह शादी हुई है और उस में एम्बेसेडर गाड़ी दी गई है। क्या इस की जानकारी आप के मंत्रालय को है। देखिये—कहां तक भ्रष्टाचार चला है, केवल चन्द्र शेखर सिंह ही नहीं, बल्कि आप के एक वरिष्ठ मंत्री—कुरेशी साहब, आप वह नहीं हैं—इस में हैं। क्या आप इस की जांच करायेंगे यह रिश्ता कहां तक चलता है। क्या जो पोलिटीकल लिंक इस में बना ; आ है, उस के बारे में भी सफाई देंगे।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं—अभी कम्यूनिस्ट पार्टी के भोगेन्द्र झा जी एतराज कर रहे थे—लेकिन मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी जानकारी के साथ कहना चाहता हूं—बिहार के दरभंगा, मधुबनी और सम स्तीपुर में जितने जरायम पेशे लोग इस समय हैं, उन को कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्टी में भरती किया है और जो जेल में थे उन को वहां जा कर सुविधायें दिलाया करते हैं। चाहे रेल का वैगन तोड़ने वाले हों या जराया करने वाले हों। सरकार उन के खिलाफ़ क्या कार्य-वाही करायेगी या क्या इसी तरह से दोस्ती का हाथ मिलता रहेगा और चन्द्र शेखर सिंह, जिन को निकाला, है, वे विरोधी हैं—मैं कहूंगा कि आप तो राजस्थान में दलबदलुओं को अपनी पार्टी में ले रहे हो, दिल्ली की नगर पालिका में दो लोगों को ले दिया है और चन्द्र-शेखर सिंह को भी अपनी पार्टी में ले लो, इस में आप को क्या तकलीफ है।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : स्पीकर साहब यह सही बात है कि कोई भी बात छिपायी नहीं गई है, जो वाकयात और सूचना में इस वक्त तक मिली है वह हम ने सदन को दी है। लेकिन यह हकीकत है कि यह रक्षक कोडरमा में तबद न किये गये थे और अपनी तबदीली को रोकनेके लिये इन्हों ने कुछ खतूत हमारे मिनिस्टर साहब को भेजे थे, जिस में एक खत श्री चन्द्रशेखर सिंह जी ने ललित बाबू को भेजा था 20-3-74 को 3 अगस्त तक ललित बाबू ने इस पर कोई कार्यवाही नही की क्यों कि वह नहीं चाहते थे कि इन लोगों को वहां से तबदी न कर दिया जाय। और 3 मार्च के बाद दोबारा चन्द्र शेखर सिंह जी ने खत लिखा जिस में लिखा आप ने कोई कार्यवाही नही की। यह जो रक्षक हैं इन के खिलाफ केसेज किये गये हैं, उन के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ अर्से के लिये ट्रासफ़र रोक दिया जाय। क्यों कि इन को कोडरमा से गजडी तबदील किया गया, जैसा माननीय सदस्य को मालूम है गुरपा और गुजडी के बीच कोडरमा है। तो कोडरमा में जो आउट पोस्ट रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स का था वह खत्म कर दिया गया था इसलिये लोगों को कोडरमा से बाहर जाना पड़ा।

उस पर ललित बाबू ने इन को 3-8 74 को खत लिखा :

[Shri Mohd. Shafi Qureshi]

"Please refer to your letter dated 20th March 1974 regarding the retention of Rakshak Shri Sheepukar Tiwari, Ram Lakan Sharma and Muktinath Singh at Koderma. I had the matter looked into and find that according to the reorganisation scheme which came into force with effect from 1st November 1973 no staff is to be posted at Koderma The RPF staff at Gujandi is however detailed for duties on rotation basis at roadside stations including Koderma. Though the above named rashaks are attached to Gujhandi outpost, they are provided with quarters at Koderma and as such there should be no difficulty in the education of their children The counter court cases can be pursued by them while remaining at Gujandi which is not far from Koderma."

This clearly shows that the Minister did not agree to his request to transfer them back to Koderma but he said that they could get the education of their children at Gujandi and other facilities they have asked for can be provided Subsequently when the representation was pressed by Mr. Singh and the plea was taken that the employees' children were studying, orders were issued that their transfer should be stayed in view of their children's studies upto March 1975 or the cases were finished, whichever was earlier. There is no favour shown to any person.

I have said that the hon. Member who had been pressing the case of these employees happens to belong to a particular party; it is not to say that the whole party is bad. I am not saying so.

SHRI PILOO MODY (Godhra): You also come to the same conclusion.

SHRI MOHD. SHAFI QURESH: I say that it is rather premature at this stage to establish a link between Mr. Singh and those rakshaks. The recoveries have been made; the documents are there; nothing has been concealed.

श्री जनेश्वर मिश्र : ऐम्बैसेडर गाड़ी का क्या है

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : उस के मुताल्लिक हमें कोई इत्तला नही है ।

श्री मधु लिमये (बांका) अध्यक्ष महोदय, आज सवेरे "स्टेट्समैन" में मैंने कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरूआ का ब्यान पढ़ा और उस में उन्होंने कहा है कि डिसेंट और डिसेन्शन मे फर्क करना चाहिये । उन्होंने कहा कि डिसेंट तो ठीक है लेकिन डिसेंशन खराब चीज है । लेकिन भ्रष्ट आचरण किस श्रेणी में आता है इस के ऊपर उन्होंने कोई प्रकाश नही डाला है । अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि जिन के ऊपर छापा मारा गया और जिन को गिरफ्तार किया गया उन के पास एक लाख रुपये से अधिक धन मिला । और आप ने कहा है कि जनवरी से लेकर अक्तूबर तक तकरीबन इस इलाके में 16 लाख रुपये की चोरी हुई है । तो एक लाख रुपया मिला । चोरी हुई है 16 लाख 37 हजार रुपये की । तो तकरीबन 15 लाख रुपये की चोरी यह पकड नही पाये । मै मन्त्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या जब यह छापा पड़ा तो उस के कुछ घंटा पहले गया के पुलिस अफसरो के जरिये इन सज्जनो को जानकारी दी गई थी कि छापा पड़ने वाला है । और इसलिये बहुत सरा माल जो इन लोगो के पास था वह जंगलो में या दूर दूर जा कर फेंक दिया गया। और क्या जले हुए या अध जले नोटो के बंडल इस छापे में पकड़े गये

क्या यह बात भी सही है, उन्होंने स्वयं कहा है कि कागजात और दस्तावेज पकड़ गये हैं, तो चन्द्रशेखर सिंह का नाम तो आप

ने ले लिया इस में कौन सी नई जानकारी दी। आज स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी ने जो बयान दिया है उस में मुअत्तली के दो कारण बताये। एक यह बताया कि संसद सदस्यों को मोटर गाडी खरीदने के लिये जो परमिट दिया जाता है और जिस पर प्रायरेटी बेसिस पर मोटर गाडियां खरीदते हैं वह उन्होंने वेगन ब्रेकर्स को दी और उस का इस्तेमाल कर के एम्बैसेडर गाडी उन्होंने खरीदी और उन को दे दी। यह इन्होंने स्वयं आरोप लगाया। इस में मंत्री महोदय ने कौन सी नई जानकारी दी।

दूसरी बात स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि चन्द्रशेखर सिंह ने इन रक्षकों के ट्रांसफर रुकवाने के लिये प्रयास किया। तो आप कोई नई जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो यह कागज पकडे गये पुलिस नियमों के अनुसार क्या पंचनामा नहीं किया जाना चाहिए। बडे तादाद में लोग मौजूद हैं और क्या एक एक आइटम के बारे में सारी तफसील देना जरूरी नहीं होता है? तो जो यह कागज पकडे गये वहां क्षेत्रीय पुलिस अफसरों के दबाव में जो टीम आप की गई थी आप ने खुद उल्लेख किया है रेड करने के लिये क्या उस को यह नहीं कहा गया कि एक एक कागज, एक एक आइटम का तफसीलवार पंचनामा मत करो?

तो मैं सीधा सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इन कागजात में ऐसे भी कागज थे जिन में बिहार के दो कांग्रेसी संसद सदस्यों का सीधा उल्लेख था। कम्युनिस्ट पार्टी ने तो कम से कम चन्द्रशेखर सिंह को निकाल दिया लेकिन आप लोगों के बारे में मुझे बडा आश्चर्य हो रहा है कि उन दो संसद सदस्यों को आप ने अभी तक सस्पेंड नहीं किया है। दो बिहारी संसद सदस्य इस में इनवाल्व्ड हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने काल अटेंशन एडमिट होते ही, चन्द्रशेखर सिंह को सस्पेंड कर दिया। तो क्या इन दो कांग्रेसी सदस्यों का इन कागजों में नाम है? और अध्यक्ष महोदय, क्या उस में एक बिहार के गफूर मंत्रिमंडल के सदस्य का भी नाम है? और क्या बिहार के और एक नेता का भी नाम है? मैं नाम नहीं ले रहा हूं उन में से किसी का। मैं कांग्रेस अध्यक्ष से जरूर पूछूंगा कि अगर यह बात सही है तो कम्युनिस्ट पार्टी का मिसाल सकती है तो कांग्रेस पार्टी का भी मिसाल सकती थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) नाम बता दीजिए।

श्री मधु लिमये: नाम नहीं बताऊंगा समय पर नाम आ जाएगा। चोरों का नाम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: अच्छा एक का बता दीजिए।

श्री मधु लिमये: नहीं। दो संसद सदस्य एक गफूर मंत्री मंडल का सदस्य और एक बिहार के नेता का नाम है और उन्होंने अभी तक उन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। उन का तो किस्सा है श्री मोहन धारिया की। ठीक है। यह इन का अन्दरूनी मामला है, भ्रष्टाचारी को पदोन्नति दे दो और मोहन धारिया जी जैसे लोगों को निकाल दो। ठीक बात है।

अब जिस तिवारी का आप ने उल्लेख किया, उस तिवारी के पास से एक अपूर्ण पत्र उन के अक्षर में पकडा गया। इन्कम्पलीट लेटर रिटिन बाई तिवारी। (व्यवधान) वह इन्कम्पलीट था। उन के पास आधा लिखा हुआ पत्र पाया गया, जिस में उन्होंने कहा था कि जितना पैसा खर्च करना पडे, मैं करने को तैयार हूं लेकिन यह जो मेरा तीसरी बार ट्रान्सफर हो रहा है, उस को मेहरबानी कर के रुकवाइए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दो बार इस तिवारी का ट्रान्सफर कुछ संसद सदस्यों के दबाव के

[श्री मधु लिमये]

कारण, केवल श्री चन्द्र ा र सिह ही नहीं कुछ ससद सदस्यो के ट्ट प के कारण नही रुकवाया गया और यह कारण दिया, अध्यक्ष महोदय, कि वह पहलवान है और इसलिए वॅगन-ब्रकर्स को ठीक करने के लिए उन का वहा रहना बहुत जरूरी है जबकि खुद ये रेसलर साहब, ये पहलवान जी उस में पूरी तरह से फसे हुए थे ।

दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महादय, कि उस इलाके का एक पुलिस अधिकारी, वह सब-इन्सपेक्टर है या इसपेक्टर है मुझ पता नही है जिन का बडा रिश्ता एक ससद सदस्य से है । वह काग्रेस पार्टी का मेम्बर है । अगर स्पीकर साहब आदेश देंगे, तो उन का नाम भी मैं रख सकता हू लेकिन मेरा ख्याल है अभी वे मुझे इस की इजाजत नही देंगे । अध्यक्ष महोदय, दूसरे एक डी० आई० जी० साहब भी है । वे भी इस में फसे हुए है ।

अध्यक्ष महोदय मेरी तरफ से इजाजत है । रूल के मुताबिक एडवान्स इन्फार्मेशन पहले दे दो ताकि मैं उन को पहले बता दू और वे हाजिर हो यहा ।

श्री मधु लिमये : मैं सवाल पूछ रहा हू कि क्या यह जानकारी सही है

Questions are asked to elucidate a matter under discussion.

मैं इलूमिडेशन चाहता हूं आप से कि क्या उन के अन्डरग्राउन्ड पैसेज वगैरह में मोटर साइकिल या दूसरा सामान भी मिला है और दो एम्बेसेडर गाडिया केवल श्री चन्द्रशेखर सिह को जो दी गई व नहीं, एक और भी एम्बेसेडर गाड़ी की बात है जो कि बड़े पुलिस आफिसर को दी गई है । मैं चाहूगा कि मत्री महोदय इन सभी चीजो के बारे में जानकारी दे और आप से अन्तिम प्रार्थना है कि मेरा जो प्रिविलेज का सवाल है, इस के बाद आप उस को भी ले ले ।

अध्यक्ष महोदय · अभी वह रह गया ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सेन्ट्रल क्राइम ब्यौरो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, रेलवे महकमे में काफी अर्से पहले से इस बात की जाच में लगा हुआ है कि कुछ खास एरियाज में जो चोरी बढती जा रही है, जिस में कोडरमा का स्टेशन भी आता है, उसका पता लगाए । गोमो से ले कर गया, तक जिस में गुरपा आता है, जिस में गुजन्डी आता है और जिस में कोडरमा का स्टेशन भी है, इस में एक चीज नोटिस की है कि 1973–74 में यहा पर 10 लाख रुपये की चोरी हुई और एक साल के अन्दर बढ़ कर यह चोरी 16 लाख रुपये की हो गई और इस में एक बडी अजीब सी बात यह दीखती है कि हडताल के दिनो में, जितना हड़ताल का पीरियड है, उस में यह बढती गई । इस में सवाल यह है कि स्ट्राइकर्स जो थे वे बगैर तन्खवाह के कितनी देर तक चलते रहे, कहा से उन्हे पैसा मिलता रहा और क्या यह पैसा वही था, इस में मैं नहीं जाना चाहता ।

श्री जनेश्वर मिश्र : उसकी जाच कीजिए ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं जवाब दे रहा हू, आप छेड़िये मत । . . (**व्यवधान**)

श्री राम रतन शर्मा (बादा) : इस तरह के आरोप अगर लगाये जाये, तो आप इनकी जाच करवाइये ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी हम ने जांच शुरू की है और कुछ डाकूमेंट्स जब्त किये हैं । हमारा जो क्राइम ब्योरो है, उसने और बिहार सी०आई०डी० और बिहार पुलिस से कुछ डाकूमेंट्स जब्त किये है ।

अब सवाल यह था कि यह कालिंग एटेंशन हमें कल मिला। उसमें यह था कि किसी पालीटिशन का लिंक तो इसके साथ नहीं है और उसमें हम ने यह देखा कि किसी एम० पी० साहब ने कोई खत किसी मिनिस्टर को तो नहीं लिखा है और हम ने देखा कि तीन खत हैं और श्री चन्द्रशेखर सिंह जी का खत हमारे पास इन आरिजनल मौजूद है, जिसका जवाब दिया हुआ है, हमारे मंत्री जी की तरफ से, ललित बाबू की तरफ से। वह वहां पर रिकवर हुआ है। बाकी तफसील कब्ल-अज-वक्त होने के मेरे पास नहीं है और यह कहना कि बाकी जो डाकूमेंट्स हैं. . . .

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के बारे मे जानकारी है लेकिन कांग्रेस के सदस्यों के बारे में कहते हैं कि इनके पास जानकारी नहीं है। इसमें गफूर मंत्रिमंडल के एक मिनिस्टर भी हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अब आपको हमदर्दी कम्युनिस्ट पार्टी से है।

श्री मधु लिमये : मुझ को बिल्कुल नहीं है, आप गलतफहमी में हैं। हम को हमदर्दी नहीं है न आपके ऊपर और न इनके ऊपर।

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में गुफ्तगू करने लगते हैं और न इधर होता है और न उधर। जो निकलेगा, निकल जाएगा। चलने दो, कहीं छिपी रह सकती हैं ऐसी बातें।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जो डाकूमेंट्स जब्त किये गये हैं, उनकी तफसील बाकायदा हासिल कर के हाउस के सामने रख देंगे। मैं तो यह समझता था कि यह कालिंग एटेंशन इस गर्ज से उठाया गया है कि रेलवेज में जो चोरी होती हैं, उनको कम किया जाये और उनको कैसे रोका जाये, इसको देखें, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको इनमें दिलचस्पी कम है और गन्द उछालने में ज्यादा दिलचस्पी है।

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है। मेरे जो प्रश्न थे, उनका उत्तर नहीं दिया और मेरे ऊपर अभियोग लगाया गया है। यह बेशर्मी की हद है। आप के संसद् सदस्य उसमे फंसे हुए हैं और आप बेशर्म हो कर मेरे ऊपर अभियोग लगाते हैं?

SHRI B. R. BHAGAT (Shahabad): Sir, I rise on a point of order.

MR. SPEAKER: No point of order on a Calling Attention.

श्री जनेश्वर मिश्र : उन का भी प्वाइन्ट आफ आर्डर सुन लीजिए।

SHRI B. R. BHAGAT: It is not on the Calling Attention. I say that the House is being conducted against the rules. That is my basic point of order. You have to listen to this.

MR. SPEAKER: How is it that the House is conducted against the rules?

SHRI B. R. BHAGAT: How can I explain it unless you give me an opportunity? As you know, I am not in the habit of getting up and raising point of order every now and then. So, I am sorry, you said "No". Rule 197, which deals with Calling Attention, says in sub-rule (2):

"There shall be no debate on such statement at the time it is made."

A member can only ask a question.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, are you allowing this point of order?

In the past, we have many instances where brief speeches were made... *(Interruptions)*

MR. SPEAKER: He is already on a point of order. I am not calling you.

SHRI B. R. BHAGAT: The rule clearly says that a member can only ask a question with the permission of the Speaker. According to me, my hon. friend, Shri Madhu Limaye, did not ask a question. He made allegations against the whole party, the Congress party....

SHRI MADHU LIMAYE: Not against the whole party.

SHRI B. R. BHAGAT: He said, there are two Congress Members, one Member from Bihar and one leader... (*Interruptions*) He was asked to give the names. He said, "I will not give the names." He was making allegations against the entire Congress party and, particularly, the Congress Members from Bihar... (*Interruptions*).

My point of order is that in the garb of a question, an allegation is made. I am sorry to say that the Minister also ignores that. He does not answer whether it is a fact or not. So, a doubt has been cast on all the Congress Members of Bihar. You, Sir, as the Speaker also, keep silent about it. It is the duty of the Speaker to see that the honour and the conduct of Members is protected. Either this question must be cleared or Mr. Limaye should withdraw the allegations.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, to my utter distrust, I notice that a right which you have perpetually denied to Opposition spokesmen without exception almost, you have allowed that to a Congress Member. Not only that. In the name of a point of order, you have allowed him to make a speech. Let it go on record. I only want this to go on record, to my utter distrust, that in this House, no uniform standard is being practised by the Chair.

MR. SPEAKER: Any other points against the Chair? You are welcome to do.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : जो बेईमान होता है उसको दुनिया बेईमान नजर आती है । (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Shri Bhagirath Bhanwar.

SHRI B. R. BHAGAT: What about my point of order?

MR. SPEAKER: I do not treat it as a point of order. We follow the practice.

SHRI B. R. BHAGAT: Can any hon. Member make any allegation by way of putting a question?

MR. SPEAKER: Nobody can make an allegation. He did not mention anybody's name. I asked him if he could give the names to me with any advance information. He keeps it for future. If he had mentioned anybody's name, that was different. I do not think he mentioned the party as a whole.

SHRI B. R. BHAGAT: He mentioned Congress Members from Bihar. There are many Congress Members from Bihar. (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने कहा कि दो मेम्बर हैं तो कहा गया है कि उनके नाम दें ।

He said that he would submit later on. There was nothing wrong about it.

अब ख्वामख्वाह क्यो आप शोर करते हैं । अव्वल तो आपकी दाढ़ी नही है और जिसकी दाढ़ी में तिनका है वह बता दे ।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : बगैर दाढ़ी वालों के शहतीर हो सकता है ।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : क्या यह हक दाढ़ी वालों का है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो किसी में नजर नहीं श्रा रहा है। अगर है तो आप ही बता दें।

श्री भागरथ भंवर (झाबुश्रा) : बिहार बहुत बदनाम हो रहा है। श्री चन्द्रशेखर सिंह की बात आई। कुछ और लोगों के नाम भी आए। रेलों को पहले से बहुत घाटा हो रहा है। समय समय पर रेलवे सलाहकार समिति में भी रेल मंत्री जी का ध्यान इन चोरियों की ओर खींचा जाता रहा है। यह केवल कोडरमा की बात नही है। देश के और हिस्सों में भी रेलों में इस प्रकार की चोरियां होती है जिन की चर्चा कभी कभी तो यहां हो जाती है और कई बार नहीं होती है। ये जो चोरियां हो रही हैं इसके सम्बन्ध में जो कुछ भी जांच हुई है या की जा रही है उस में क्या केवल रेलों के बाहर कों का हाथ है या रेलवे सुरक्षा दल के कुछ अधिकारियों का भी इन में हाथ है? इस सम्बन्ध में जो जानकारी मंत्री जी को मिली वह भी उन्होंने सदन को नही दी। लिमये जी ने कहा कि कुछ राजनीतिक नेताओं का, संसद सदस्यों का भी इस में हाथ है। उसकी भी जानकारी मंत्री जी को मिल गई है। लेकिन वह उसको देने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों वह सदन से इन बातों को छिपाना चाहते हैं और क्यों नहीं जो चीज देश के तथा रेलों के हित में है वह सदन को देना चाहते हैं? क्या वह अब भी पूरी जानकारी देगे?

चोरियों की रोकथाम करने के लिए रेलो में सुरक्षा दल होता है। सब जगह चोरियां होती हैं, छुटपुट चोरियां तो हर जगह होती हैं। चूंकि सुरक्षा दल इन को रोकने में असफ़ल सिद्ध हो रहा है इस वास्ते में जानना चाहता हूं कि क्या आप कुछ और व्यवस्था इनके सम्बन्ध में करने जा रहे हैं, क्या रेलवे सुरक्षा दल के साथ आप प्रान्तीय दल को नत्थी करेंगे या कोई और व्यवस्था करेंगे ताकि इन चोरियों को रोका जा सके?

बिहार में हालत बड़ी खराब है। वहां आन्दोलन चल रहा है। जे० पी० को बदनाम किया जा रहा है। अब जबकि हालत बहुत खराब हो गई है क्या सरकार सोचेगी कि बिहार की सरकार को हटा दिया जाए और कोई दूसरी व्यवस्था वहां की जाए?

13.00 hrs.

इसके साथ साथ में यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी जो भी जांच कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई ऐसे नाम प्राप्त हों जो कि राजनीतिक पार्टी के लोग हों तो उनके नाम क्या सदन को बतायेंगे। और कब तक बतायेंगे?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा मैंने पहले कहा—पुलिस की तहकीकात में जो कागजात जब्त किए गए हैं या जो मालूमात उनको मिलेगी उसकी तमाम इत्तिला हाउस को दी जाएगी। इसमें पर्दा करने की, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अफ़सोस इस बात का है कि हर मामले को उल्टाकर पोलिटिकल रंग देकर असल मामले को भुला दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में हमारी मदद करें तो माननीय सदस्य के पास जो इत्तिला हैं वह हमें दे दे और हमारी मदद करें।

जहां तक रेलवे में चोरी का सवाल है, इसमें रेलवे के कर्मचारी भी जरूर है, बाहर के लोग भी है और वे भी हैं जो चोरी के माल का इस्तेमाल करने है। इस चोरी की रोकथाम के लिए इस किस्म की कार्यवाही की गई है। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य इसमें हमारा हाथ बंटायेंगे और जो इत्तिला उनके पास है, उसे हमें देंगे ताकि हमें इस काम में सहायता मिले।

SHRI VASANT SATHE (Akola): I will not go into the question of these allegations and counter allegations of a political nature that were injected into the question by my friend...

SHRI MADHU LIMAYE: Please read the Call Attention for a change.

SHRI VASANT SATHE: Some political parties or persons may be involved or linked. It has been stated in the question itself, But to make allegations against members of a particular party ..

AN HON. MEMBER: Wild allegations.

SHRI N K P. SALVE (Betul): In violation of rules

SHRI VASANT SATHE: ...without naming them is not fair. He particularly said that members of the ruling party and who are members of Parliament and from Bihar are involved but he does not name them But I am thankful to you that you have reduced the question only to those having beards. That at least reduces the area But I do not know how many persons from Bihar have beards

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): *rose*—

SHRI DARBARA SINGH· His beard cannot hide even a small *thinka*.

MR SPEAKER: I think the gentleman at your back has offered his beard to be searched

SHRI VASANT SATHE· Therefore, I am also surprised when Shri Limaye named a big leader of Bihar who does not belong to any political party Now. I do not know which big leader he was referring to because he only said a '*Bada Neta* ...

SHRI MADHU LIMAYE: Why are you misquoting me? I never said '*A Nirdaleeya Neta*'

श्री वसन्त साठे : आप नाम लेते नही हैं कि कौन बडा नेता है, हम यह क्या समझे। मधु लिमये साहब की जो आदत है कि नाम न लेते हुए दोषारोपण करते जाना और हवा मे छोड देना, और कहीं भी जाकर बैठ जायें, यह उनकी आदत बुरी है और बहुत पुरानी है। इस आदत से ये बाज नही आयेंगे, यह हमे मालूम है।

लेकिन मैं मिनिस्टर साबह से यह कहूंगा की सवाल दूसरा है। यहा इतने बडे पैमाने पर चोरी हुई, आपने जो इशारा किया कि वह स्ट्राइक के दरम्यान, तो कुछ दादा लोग, गुंडे लोग जो आर० पी० एफ़० मे भी हैं और थे, अभी उन्होने कहा पहलवान, तो ऐसे गुडे मिलकर कही स्ट्राइक को मदद करने के लिए चोरी तो नही कर रहे थे? इसकी भी जरा जांच कीजिए।

स्ट्राइक के महान नेता कौन थे—जार्ज फर्नान्डीज। वह किस पार्टी के थे इसी से यह सारा सिलसिला लग जाएगा। इसलिए इसका भी पता लगाना जरूरी है कौनसी पार्टी के लोग और किस नेता के अनुयायी रेलवे कर्मचारियो के साथ इस चोरी मे मिले हुए थे?

मै यह भी जानना चाहूगा कि सारे देश मे स्ट्राइक के दरम्यान कितनी चोरी हुई, कहा-कहा हुई और कौन-कौन लोग उसमे इन्वाल्व्ड थे? इसका भी क्या आप पता लगा कर हमे जानकारी देगे?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : दोनो बातें जो इन्होने कही कि जो माल चोरी हुआ और इस माल से जो रुपया वसूल हुआ वह किस तरीके से इस्तेमाल किया गया इसकी भी जांच हो सकती है इसमे रूकावट नही है। जो टोटल चोरी रेलवे मे होती है वह आपको मालूम है कि करीब 20 करोड रुपए की चोरी हर साल होती है। लेकिन कुछ सैक्शन्ज ऐसे है जहा चोरी बढ़ती गई और चोरी के माल के खरीददार भी बढ़ते गए और गुडे भी बढ़ते गये है। हम इसकी पूरी जाच कर रहे है और इसके खिलाफ़ जो कार्यवाही करनी है, वह कर रहे है।